

INDEX

(RTI Queries & Responses of IT Division – Third Quarter of 2016-17**(1st October, 2016 to 31st December, 2016)**

S.No.	Name of the Applicant	Page No.
1.	Shri Sanjay Kumar Shukla	2-5

आरटीआई कानून

क. सं 8 - 09/2016 - आर टी आई (2)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग, (सूचना का अधिकार अनुभाग)
संचार भवन - 20 अर्वाक रोड, नई दिल्ली - 110 001.

दिनांक: 30.09.2016.

कार्यालय सचन

विषय:- सूचना का अधिकाधिक अधिनियम, 2005 के तहत डॉ. संजय कुमार शुक्ला के दिनांक 08.09.2016 के आवेदन (इस कार्यालय को दिनांक 28.09.2016 को प्राप्त) को अर्पित करना।

अर्पितकर्ता को इसके साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन को सूचना एवं आवश्यक कारवाई करने हेतु अर्पित करने का निर्देश हुआ है।

- यह अनुरोध है कि मानी गई सूचना आवेदन को सीधे ही प्रदान की जाए। यदि मानी गई सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य सी पी आई ओ / लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो उक्त सी पी आई आवेदन को संबंधित सी पी आई ओ / लोक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए भेज दिया जाए।
- आवेदन द्वारा आरटीआई आवेदन-सूचना का मुद्दागत हो चुका है।

भवदीय,



(संजय कुमार)

उप सचिव (समान्य) एवं नोडल अधिकारी (आर टी आई)

दूरभाष - 23036225

संलग्नक: चर्चापत्री।

सेवा में,

- श्री सीपीआईओ, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, 20, अर्वाक रोड, नई दिल्ली -110001।
- श्री सुरेश लघानी, उप महासंचालक (समाजसेवा) एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई), भारत संचार निगम लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), निगम कार्यालय, कनक सड़क-28, आई. आर. हाउस, इंदिरा कोर्ट, जलपथ, नई दिल्ली -110001।
- श्री सी. पी. सिंह, उप महासंचालक (एनसी) एवं सीपीआईओ, एमटीएनएल, निगम कार्यालय, 5508, पंचवीं तल, एमटीएनएल सदन, 8, सीईजी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110063।

प्रतिनिधि प्रेषित :-

डॉ. संजय कुमार शुक्ला, प्रबंध संचालक, 180, ए. बी., चट्टोजीपुरा कॉलेजी, पटना - 13, बिहार - को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियम के उपरोक्त उल्लिखित सीपीआईओ, जो कि दूरसंचार विभाग/ बीएसएनएल / एमटीएनएल से संबंधित अधिकारी हैं, के साथ ही पत्र व्यवहार करें। बीएसएनएल/एमटीएनएल अलग अलग प्राधिकरण हैं। यदि आर टी आई आवेदन के विषय कोई अधिकारी है तो उसे सीधे बीएसएनएल/एमटीएनएल को भेजा जाये।

118/Ar(37-2)/16
3/16

सूचना के अधिकार पर आधारित
 मासिक पत्रिका
खबरपालिका



180, A-B, Fatiputra Colony, Patna-800013, email : khabarpalika@gmail.com, khabar@khabarpalika.com



सेवा में,
 लोक सूचनाधिकारी
 सूचना सचिवालय,
 नई दिल्ली।



Date: 20/9/16
 RTI
 DS(RTI), DoT

विषय : सूचनाधिकार 2005 अधिनियम में उद्यम जानकारी उपलब्ध करने के लक्ष्य में।
 सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के उद्यम नियम लागू करने की सूचना, जिसके लिए नियमावली 10 मंत्र का भारतीय पेटेंट अधिनियम का धारा 13(1)(b) है।

<p>आपके विभाग में विभिन्न चर्चों पर अख्यक, सहाय आदि को नभित करने के लिए सच-सच सचिवालय होती हैं उनका सचिवालय विभाग में नभित अख्यक एवं सहायों की सूची के साथ साथ उनको प्राप्त सुविधाओं का पूर्ण विवरण एवं सुविधाओं पर आने वाले खर्च का सचिवालय करावे।</p>	<p>रेल में कहीं-कहीं पर आपके विभाग की वेबसाइट है तथा दिसंबर 31 दिसंबर 2000 से 31 अगस्त 2016 तक एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक किस-किस अधिकारी पर उनके निदेशनों, निर्देशों आदि ने प्रकाश किया है उनका विवरण उपलब्ध करावे।</p>	<p>वेबसाइट पर खर्च का सचिवालय के साथ-साथ वेबसाइट में कार्यवाही के पूर्ण विवरण उपलब्ध करावे, जिसके अन्तर्गत यह कार्रवाई की कुल कितने 5 वर्षों से अधिक किस-किस कार्यवाही का कार्रवाई एक ही वेबसाइट में रहा है।</p>	<p>वेबसाइट होने के बावजूद भी उन अधिकारियों के नाम एवं पद का सचिवालय कार्यवाही विवरण सचिवालय पर होना या प्रकाश किया हो तथा होना खर्च का अनुमेय विभाग के इन अधिकारियों के द्वारा किया गया है।</p>
---	---	--	---

आपके द्वारा उपलब्ध कराने की जानकारी सूचना अधिकार पर आधारित मासिक पत्रिका 'खबर पत्रिका' को समाचार प्रकाशित होगी।
 आपके द्वारा उपलब्ध कराने की जानकारी हमें ई-मेल khabarpalika@doj.gov.in या सीडी-ई में उपलब्ध कराना जा सकता है,
 इस धारण में आने वाले खर्च का भुगतान आने के पश्चात् पर कर दिया जायेगा।

30/09/2016-सूचनाधिकार
 20/09/2016
 19/09/2016 (RTI)
 जयदेव
 डॉ. राजेश कुमार शुक्ल
 प्रबंध संपादक
 180, B की, फतियुवा कॉलोनी, पटना-13



सी। 8-1/2014-आई टी V
 भारत सरकार
 संघार संचालक, दूरसंचार विभाग
 संघार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
 (आई टी सेल)

दिनांक: 08.10.2016

सेवा में,

श्री. संजय कुमार शुक्ला,
 प्रबंध संचालक,
 180, ए.जी., फाटलौदुर कॉलोनी,
 पटना - 13, बिहार।

विषय: शुभना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री. संजय कुमार शुक्ला, के दिनांक 08.09.2016 के आवेदन (इस कार्यालय को दिनांक 28.08.2016 को प्राप्त) को अश्विगत करना।

यह जानने आसके उपर्युक्त आईटीआई आवेदन के संदर्भ में ज्ञेय जा रहा है जिसे इस विभाग में उपस्थित (समान्य) और नोडल अधिकारी (आईटीआई) द्वारा अपेक्षितकारी को संगत शुभना उपलब्ध करने के आशय से दिनांक 30.09.2016 के आले कार्यालय जपत संख्या 9-08/2016-आर टी आई (2) के माध्यम से अश्विगत किया गया था।

2. आई टी प्रभाग में संबन्धित शुभना के संदर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना है कि सीपीआईओ को आईटीआई अधिनियम, 2005 के भाग 2(घ) के अंतर्गत केवल ऐसी शुभना प्रदान करने होती है जो अभी तक उपलब्ध हो और जो लीस रम में सारकारी प्राधिकारी के पास हो। आईटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीपीआईओ शुभना का सृजन नहीं करता, अपवाद शुभना कि व्याख्या नहीं करता; अपवाद अपवाद द्वारा एकी नहीं समझना कर समाधान प्रस्तुत नहीं करना अपवाद ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो संवैधानिकता/अधिनियम विद्युत करने कि प्रकृति के हो। इसके अलावा, इस संकेत में यह भी उल्लेख किया जाता है कि यह शुभना दूरसंचार विभाग के आई टी प्रभाग से संबन्धित नहीं है।

3. शुभना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सृजन के संदर्भ में इस कार्यालय से संबंधित साथ अधिसूची प्राधिकारी का पता है: श्री संजय कुमार मिश्र, डीडीजी (आईटी), नम्बरा No.306, संघार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.

(संजय कुमार कर्माजिवा)

निदेशक (आईटी-V) एवं सीपीआईओ

प्रतिनिधि दक्षिण:

श्री संजय कुमार, उप सचिव (समान्य) एवं सीपीआईओ, दूरसंचार विभाग, संघार संचालक, संघार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

Signature
 8/10/16